न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 207/2013

उनवान

1. मदनलाल पुत्र भूराराम
2. प्रभूदयाल पुत्र भूराराम
3. गोविन्दराम पुत्र भूराराम
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेवश
5. गोपाल पुत्र छीतर
6. जीवण पुत्र छीतर
7. पप्पू पुत्र छीतर
8. मंजू पत्री छीतर
9. अणची पुत्री छीतर
10. शान्ति पत्नी छीतर

जति कुम्हार निवासी बाडिया की ढाणी ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. गेपाल पुत्र नाथूराम
2. श्रीनारायण पुत्र नाथूराम
3. रामू पुत्र नाथूराम
4. कैलाश पुत्र नाथूराम
5. मुरली पुत्र नाथूराम
6. रामकिशोर पुत्र नाथूराम

जाति कुम्हार निवासी ढाणी बाडिया की ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

7. भंवरलाल पुत्र गोपाल
8. ब्नवारी पुत्र गोपाल
9. बिरबल पुत्र गोपाल
10. सुवालाल पुत्र हनुमान
11. बबूलाल पुत्र हनुमान
12. सीताराम पुत्र किशनाराम
13. बेदूराम पुत्र आनन्दीलाल
14. शंकरलाल पुत्र आनन्दीलाल
15. सुरेश पुत्र आनन्दीलाल
16. चौथमल पुत्र आनन्दीलाल
17. मनभूली पत्नी आनन्दीलाल

जाति कुम्हार निवासी ढाणी बाडिया की ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 17.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण 13 लगा0 17 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 753/2041 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.40है0, खसरा नम्बर 784 रकबा 0.60है0, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.60है0, खसरा नम्बर 788/1914 रकबा 0.23है0, खसरा नम्बर 790/1873 रकबा 0.10है0, खसरा नम्बर 792 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर

Scanned by CamScanner

800 रकबा 0.19है0, खसरा नम्बर 804 रकबा 0.24है0, खसरा नम्बर 805 रकबा 0.01है0, खसरा नम्बर 806 रकबा 0.89है0, कुल किता 11 कुल रकबा 3.44है0 वाके ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं में स्थित है। उक्त आराजीयात् सम्पूर्ण के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 17 एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 17 की उक्त वर्णित में खसरा नम्बर 800 रकबा 0.19 है0 के दक्षिणी तरफ प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 की भूमि खसरा नम्बर 799 की स्थित है। इस प्रकार प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 लगा0 17 की भूमि के दक्षिणी तरफ के पडौसी काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 17 की भूमि खसरा नम्बर 800 की दक्षिणी सीमा वाद–पत्र में विवादग्रस्त है। जिसे वाद पत्र के अन्य मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 जो की एक भू माफिया गिरोह के सदस्य है। मौके पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 अपनी भूमि खसरा नम्बर 799 की उत्तरी सीमा को तोड–फोड कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 17 की भूमि खसरा नम्बर 800 पर जबरन कब्जा करने व सींव में तोड फोड करने, निर्माण, पोल गाड कर तारबन्दी आदि करने व कराने के लिए आमादा है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 ने अपने गिरोह के लोगों से मौके पर दिनांक 29.05.13 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 13 लगा0 17 की उक्त भूमि खसरा नम्बर 800 की दक्षिणी सीमा को तोड फोड करने लगे व सींव को अपनी भूमि में मिलाने की कुचेष्टा करने लगे, तब वादीगण के मना करने पर झगडा फसांद कर वादीगण पर जानलेवा हमला किया, जिस बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 168/13 थाना गोविन्दगढ में दर्ज करवायी, जिसमें प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चालान पैश हो चुका है।

वाद पत्र में वर्णित भूमि पर वादीगण शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 ने एक नाजायज गिरोह बना कर वादीगण की उक्त भूमि विवादग्रस्त की दक्षिणी दिशा की सींव को काटने व तोड–फोड कर, तारबन्द करने व वादीगण के काश्त करने में आये दिन व्यवधान डालकर वादीगण से लडाई–झगडा करने की कुचेष्टा कर रहे है। इसी बदनियती के कारण दिनांक 14.07.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने वादीगण को ऐलानियां धमकी दी तुम कुछ भी बचाव कर लों, लेकिन तुम्हारी भूमि हडप कर रहेंगे व तारबन्दी कर कब्जे से बेदखल करेंगे। जिस कारण वादीगण को वादीगण को वाद–पत्र पैश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर गैर कानूनी तरीके से बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश हुए बिना ही दिनांक 08.11.2012 गैर कानूनी सीमाज्ञान मनमाफिक रिपोर्ट तैयार करा ली, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 वादीगण को खसरा नम्बर 800 की भूमि से बेदखल कर देना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 को कोई अधिकार नहीं है।

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिग्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें की प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 वादीगण की आराजी भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 800 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि की दक्षिणी सीमा में किसी भी प्रकार से सींव को तोड–फोड नहीं करें, ना ही जबरन प्रवेश करे ना ही वादीगण के काश्त करने, उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट करे, ना ही जबरन कब्जा करें, ना ही बेदखल करें, ना ही उक्त कार्यवाही स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवाये।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Scanned by CamScanner

17 बावजुद तलबी अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जिसके मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 खसरा नम्बर 800 पर वादीगण के कब्जेशुदा भाग पर कोई दखल रूकावट नही कर रहे है, व सींव जो मौके पर कभी विधमान रही ही नही को गलत रू‍ से माके पर सींव बताकर वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7ता 9 की कब्जे काश्त व 1 ता 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 799 की उत्तरी सीमा पर हो रही तारबन्दी व पत्थरगढी को तोडकर जबरन खसरा नम्बर 799 की भूमि को हडपना चाहते है, कब्जा करना चाहते है, जिस अवैध उद्देश्य की पूर्ति हेतु गलत तथ्यों के आधार पर यह झुठा दावा पेश किया है, जिसे मय हर्जे- खर्चे खारिज फरमाया जावें।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 800 रकबा 0.19 है0, ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– हिम्मत सिंह

मु.न. 207/2013

उनवान

1. मदनलाल पुत्र भूराराम
2. प्रभूदयाल पुत्र भूराराम
3. गोविन्दराम पुत्र भूराराम
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामदेवश
5. गोपाल पुत्र छीतर
6. जीवण पुत्र छीतर
7. पप्पू पुत्र छीतर
8. मंजू पत्री छीतर
9. अणची पुत्री छीतर
10. शान्ति पत्नी छीतर

जति कुम्हार निवासी बाडिया की ढाणी ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. गेपाल पुत्र नाथूराम
2. श्रीनारायण पुत्र नाथूराम
3. रामू पुत्र नाथूराम
4. कैलाश पुत्र नाथूराम
5. मुरली पुत्र नाथूराम
6. रामकिशोर पुत्र नाथूराम

जाति कुम्हार निवासी ढाणी बाडिया की ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

7. भंवरलाल पुत्र गोपाल
8. ब्नवारी पुत्र गोपाल
9. बैरबल पुत्र गोपाल
10. स्वालाल पुत्र हनुमान
11. बबूलाल पुत्र हनुमान
12. सीताराम पुत्र किशनाराम
13. बेदूराम पुत्र आनन्दीलाल
14. शंकरलाल पुत्र आनन्दीलाल
15. सुरेश पुत्र आनन्दीलाल
16. चौथमल पुत्र आनन्दीलाल
17. मनभूली पत्नी आनन्दीलाल

जाति कुम्हार निवासी ढाणी बाडिया की ग्राम हस्तेडा तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 800 रकबा 0.19 है0, ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर खुले न्यायालय मे आज तारीख 17.12.2019 को जारी किया गया।

मोहर

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.30 16:43:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: